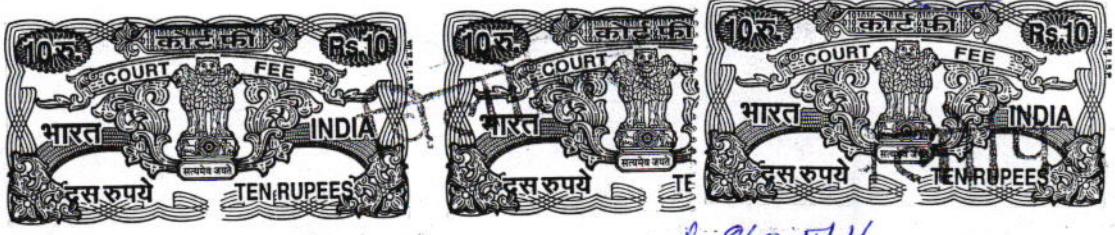

85

R 860 III/16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर

अजय विक्रम परमार तनय विजयसिंह परमार
निवासी गर्ल्स स्कूल के पास वार्ड क्र 25 जिला छतरपुर .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 67/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 24/02/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुलगंज स्थित भूमि खसरा क्र 2088, 2089, एंव 2094 रकवा क्रमशः 0.599, 0.979, एंव 0.186 हे भूमि श्रीमति सावित्री पुत्री भगवत प्रसाद श्रीवास्तव की स्वअर्जित भूमि थी जिनका एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 23/3/06 श्रीमति सावित्री द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया जिसके आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार द्वारा बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे भी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी बिजावर एंव तहसीलदार बिजावर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत रूप से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि वादग्रस्त भूमि मृतक वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि थी जिसको विधिक प्रावधान अनुसार उसको किसी भी व्यक्ति को वसीयतनामा लेख करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वसीयतनामा को साक्षियों द्वारा पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया था तथा मृतक के तीनों पुत्रों ने भी स्टाम्प पर अपनी

डी. के. पारसी (एड.)
राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र.
ग्वालियर मो.: 9753356589

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 860. II. 16 ..... जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-3-16	1— आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित उनके द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किए। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों के तर्क सुने। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर के प्रकरण क्र. 67 / अपील / 2014—15 में पारित आदेश दिनांक 24 / 02 / 16 के विरूद्व म.प्र. भू.रा.संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार बिजावर के न्यायालय में आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र ग्राम गुलगंज स्थित भूमि खसरा कमांक 2088, 2089 एवं 2094 रकवा कमशः 0.599, 0.979 एवं 0.186 हे0 भूमि का नामांतरण उसके पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा दि० 23.03.06 के आधार पर स्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। आवेदक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि श्रीमति सावित्री श्रीवास्तव की स्वअर्जित भूमि थी जिस कारण से उन्हें भूमि के संबंध में वसीयतनामा निष्पादित किए जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। 4— उनका यह भी तर्क है कि श्रीमति सावित्री श्रीवास्तव के तीनों पुत्र रामप्रसाद, लक्ष्मणप्रसाद, भरतप्रसाद द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वसीयतनामा निष्पादित किया जाना बताया गया था तथा उनके द्वारा लिखित में विचारण न्यायालय के समक्ष वसीयतनामा के आधार पर आवेदक के पक्ष में नामांतरण किए जाने की सहमति प्रस्तुत की थी। आवेदक का यह भी तर्क है कि वसीयतनामा को विचारण न्यायालय के समक्ष वसीयतनामा के साक्षी, लेखक एवं स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अपनी अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया गया था जिस कारण से वसीयतनामा किसी भी रूप में संदेह की परिधि में नहीं आता है इस कारण से आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का का प्रार्थना की गई।	

R 860 II/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय एवं विचारण न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक के पक्ष में दिनांक 23.03.2006 को श्रीमति सावित्री श्रीवास्तव द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया गया था। प्रकरण के अध्ययन से यह भी पाया जाता है कि श्रीमति सावित्री श्रीवास्तव के तीनों पुत्रों को वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है तथा तद्संबंध में तीनों पुत्रों द्वारा सहमति पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। मेरे द्वारा यह भी पाया गया की वसीयत के साक्षियों द्वारा अपने कथन में वसीयतनामा उनके समक्ष लेख किया जाना स्पष्ट रूप से बताया गया तथा वसीयतनामा को प्रमाणित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त आधार के आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है इस कारण से मैं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.16 एवं तहसीलदार बिजावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.15 निरस्त किए जाते है तथा वादग्रस्त भूमि पर रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 23.03.2006 के आधार पर आवेदक का नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	